गंदी बस्तियों के लोगों के लिए योजनायें

1741. डा० जितेन्द्र कुमार जैन : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 28 दिसम्बर, 1993 के ट्रिब्यून में प्रकाशित "प्रोग्रेस आफ स्कीम्स फौरी पूअर" शीर्षक समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यही सही है कि देश के लगभग 570 शहरों व कस्बों में रहने वाले 70 लाख नागरिक गंदी बस्तियों में अपना जीवन बसर कर रहे हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि उनकी आवासीय समस्या के हल के लिये सरकार ने आठवीं पंचवर्षीय योजना में कई परियोजनाएं प्रारंभ करने का निर्णय लिया था;

(घ) यदि हां, तो वे कौन-कौन सी परियोजनाएं थीं तथा उनमें से कितनी परियोजनायें जनवरी 1994 तक निर्माणाधीन थीं;

(ङ) और क्या यह भी सच है कि इन निर्माणाधीन परियोजनाओं में अनेकों ऐसी भी परियोजनाएं हैं जो अपने पूर्व निर्धारित समय पर पूर्ण नहीं हो पायेंगी; और

(च) यदि हां, तो वे कितनी परियोजनाएं हैं और उनके लागत मूल्य में कितने प्रतिशत वृद्धि होने का अनुमान है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री (पी० के० थुंगन) : (क) जी, हाँ । यह समाचार मुख्यत अमर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियमन) अधिनियम, 1976 की धारा 21 के तहत स्वीकृत स्कीमों के ब्यौरों के संदर्भ में है। इस धारा के तहत स्कीमें सम्बन्धित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा अनुमोदित की जाती हैं क्योंकि इस अधिनियम के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी उन्हीं की है । इस धारा के अन्तर्गत 4,544.49 हैक्टेयर भूमि पर 3,68,123 रिहायशी एककों वाली 2741 स्कीमें अनुमोदित की गई हैं।

(ख) 1991 की स्थिति के अनुसार, स्लम क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों की अनुमानित संख्या 46.6 मिलियन है।

(ग) से (च) विभिन्न स्कीमों के बारे में स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है।

1991 में स्लम आबादी 466 लाख प्लस निवासी आंकी गई थी। दिसम्बर, 1993 तक 315 लाख स्लम निवासी लाभान्वित किए गए थे।

इन स्लम निवासियों की सहायता के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम निम्नलिखित स्कीमों से सम्बन्धित हैं :—

1. शहरी स्लमों के पर्यावर्णीय सुधार की स्कीम (ई०आई०यू०एस०), जो मूलत: केन्द्र सरकार द्वारा शुरु की गई थी और बाद में राज्य क्षेत्र को अन्तरित कर दी गई थी। इसमें स्लमों में कम लागत जलापूर्ति, नाले, बरसाती पानी के नाले, मलजल निर्यास, सामुदायिक स्नानघर और शौचालय, रास्तों को चौड़ा करना/खडंजा बिछाना तथा पथ प्रकाश जैसी आधारभूत भौतिक सुविधाएं मुहैया कराने पर विचार किया गया है।

2. आवास तथा नगर विकास निगम ((हुडको) समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों को उनकी आवास तथा आश्रय उन्नयन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ब्याज की सब्सिडाइज्ड दरों पर ऋण मुहैया कराता है।

3. ओवरसीज डवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, जो ब्रिटेन की एजेंसी है, आन्ध्र प्रदेश में तीन परियोजनाओं अर्थात् हैदराबाद, विशाखापत्तनम और विजयवाड़ा, मध्य प्रदेश में एक अर्थात् इन्दौर हैबीटेट सुधार परियोजना तथा पश्चिम

बंगाल में कलकत्ता हैबीटेट सुधार परियोजना के लिए वित्त पोषण कर रही है। इसके अलावा ओ०ई०सी०एफ० हाल ही में कटक (उड़ीसा) और कोचीन (केरल) में स्लम सुधार परियोजनाएं शुरु करने के लिए सिद्धांततः सहमत हो गया है। इन परियोजनाओं में प्रारंभिक क्रिया-कलाप 1993-94 के दौरान शुरु हो चुके हैं।

4. सातवीं योजना अवधि के दौरान, बम्बई में आवास तथा स्लम समस्याओं पर काबू पाने के लिए 1985 में तत्कालीन प्रधानमंत्री द्वारा 100 करोड़ रुपये का एकमुश्त अनुदान स्वीकृत किया गया था।

5. वित्त मंत्रालय द्वारा नवें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर समान अंशदान आधार पर बम्बई तथा कलकत्ता में स्लमों में आधारभूत सुविधाओं की व्यवस्था के लिए महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल, प्रत्येक के लिए 50 करोड़ रुपये का नियतन किया गया है।

6. विश्व बैंक सहायता प्राप्त शहरी विकास परियोजनाओं में स्लम सुधार के घटक इस प्रकार हैं :–

क्रमांक	राज्य	कुल परियोजना लागत	स्लम घटक की लागत
1	तमिलनाडु	632.60	46.40
2	महाराष्ट्र	282.33	23.74
3	पश्चिम बंगाल	282.00	18.23
4	उत्तर प्रदेश	246.11	25.83
5	गुजरात	156.62	12.61

Conversion of leasehold premises into freehold

1742. SHRI RAJN1 RANJAN SAHU : Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state :

(a) whether the Government of the National Capital Territory of Delhi has submitted any proposal or made any move to raise the scheme for enabling members of cooperative house building societies and the Cooperative Group Housing Societies to convert the lease-hold premises into free hold so as to reduce the conversion charges considerably;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the details of the final decision taken in the matter ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI P. K. THUNGON) : (a) No, Sir.

(b) and (c) Question does not arise.

Permission to make additions in buildings in Delhi

1743. SHRI RAJNI RANJAN SAHU : Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state :

(a) whether Government of the National Capital Territory of Delhi has submitted any proposal to the Central Government to allow additions above the previous existing permissible height of buildings in Delhi; if so, the details thereof; and

(b) what is Government's decision in the matter ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI P. K. THUNGON) : (a) The Central Government has not received any proposal to allow additions above the previously existing permissible height of buildings in Delhi.

(b) Question does not arise.